कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सिंचाई विभाग, रुड़की (हरिद्वार) के माह 08 2015/से 072016/ तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री राजेश कुमार सिन्हा, स0ले0प0अ0, श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव स0ले0प0अ0, एवं श्री शिवम त्यागी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 6/8/2016 से 20/8/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, सम्प्रेक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 6/8/2016 से 20/8/2016 तक में सम्पन्न लेखापरीक्षा का लेखा परीक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण आख्या **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सिंचाई विभाग, रुड़की (हरिद्वार)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावना

1. इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री संजीव कुमार, श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री गौरव गुप्ता,, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10/08/2015 से 20/08/2015 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखा परीक्षा अधिकारी, के पर्यवेक्षण में दिनांक 10/08/2015 से 20/08/2015 तक में सम्पन्न हुयी थी जिसमें खण्ड के माह 02/2013 से 07/2015 तक के लेखाअभिलेखों की जांच की गयी थी।
   लेखा परीक्षा के माह 082015से 07/2016तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जाँच की गयी।
2. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं ने खण्ड का कार्यभार सम्भाले रखा।
   1. श्री आर0 एस0 शर्मा विगत लेखा परीक्षा (24/12/2014) से अब तक
3. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहे।
   1. श्री सतीश कुमार विगत लेखा परीक्षा (28/07/2014) से अबतक
4. अधीक्षण अभियनता ने खण्ड का गत सम्प्रेक्षण से अब तक की अवधि के दौरान एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया था।
5. खण्ड के भण्डार तथा यंत्र संयत्र लेखों की अर्द्धवार्षिक/वार्षिक बन्दी क्रमशः माह 03/2012 एवं 09/2012 तक हुई।
6. फार्म 51 माह 06/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-
   भाग प्रथम ` शून्य
   भाग द्वितीय ` (-) 37,815.00
7. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 07/2015 के अन्त में
   (क). प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 83,687.75.00
   (ख). सामग्री क्रय प्रचलन में नहीं है।
   (ग). नकद परिशोधन प्रचलन में नहीं है।
   (घ). निक्षेप ` 21,89,339.00
   (ङ) भंडार ` 1,75,73,030.00
8. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत थी।

क्र. स.	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं.	अनिस्तारित कण्डिकाऐं			
		भाग दो 'अ'		भाग दो 'ब'	
		पैरा स.	कुल पैरा	पैरा स.	कुल पैरा
1.	96/2010-11	1,2	2	-	0
2.	89/2011-12	-	0	1,2	02
3.	12/2013-14	-	0	-	0
4.	46/2015-16	-	0	1,2,3,4	04

	Total		**02**		**06**

9. अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

10. सतत अनियमिततायेः- शून्य

11. गत तीन वर्षों में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति

वित्तीय वर्ष	**मुख्य लेखाशीर्ष**	**आंवटन (रु. लाख में)**		**व्यय (रु. लाख में)**	
		आयोजनागत	**आयोजनेतर**	**आयोजनागत**	**आयोजनेतर**
2013-14	2700	**-**	**82.70**	**-**	**82.70**
	4700	**3910.66**	**-**	**3910.66**	**-**
2014-15	2700	**-**	**115.20**	**-**	**115.20**
	4700	**1813.21**	**-**	**1813.21**	**-**
2015-16	2700	**-**	**203.68**	**-**	**193.99**
	4700	**2814.12**	**-**	**2807.77**	**-**
2015-16 (up to July 2016)	2700	**-**	**22.00**	**-**	**9.77**
	4700	**1226.00**	**-**	**1028.64**	**-**

भाग – 2(ब)

प्रस्तर:1 नलकूपो के ऊर्जिकरण न होने से अपूर्ण नलकूप पर रु 291.56 लाख का अलाभकारी व्यय

नाबार्ड वित्तपोषित योजना के अंतर्गत खंड द्वारा कृषको को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु खंड द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 के मध्य निर्मित 20 नलकूपो (लागत रु 1103.84 लाख) के ऊर्जिकरण हेतु विद्युत वितरण खंड (ईडीडी) के पास रु 67.16 लाख की धनराशि जमा की गयी थी।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड , सिंचाई विभाग, रुड़की के अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे (अगस्त 2016) पाया गया कि उपरोक्त 20 नलकूपो मे से 05 नलकूप (316 RG Lalwala, 113 LG Maithana, 93 HG Sanghipur, 81 LG Sidhu and 72 LG Bhairana) जिनके निर्माण पर कुल धनराशि रु 278.83 लाख व्यय की जा चुकी थी तथा इसके ऊर्जिकरण हेतु रु 12.73 लाख की धनराशि EDD को सितंबर 2014 से मार्च 2015 के मध्य जमा की गयी थी, का ऊर्जिकरण धनराशि जमा करने के 21 माह से 34 माह बाद भी नहीं हुआ था जिसके कारण न केवल उक्त 05 नलकूप अपूर्ण अवस्था मे थे अपितु इसके निर्माण का प्रयोजन पूर्ण न होने से इस पर किया गया कुल व्यय रु 291.56 लाख (रु 278.83 लाख + रु 12.73 लाख) भी एक अलाभकारी व्यय था।

उक्त की ओर इंगित करने पर खंड द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुये उत्तर मे बताया गया कि नलकूपो का ऊर्जिकरण हो जाने के बाद नलकूप उपयोगी हो जाएंगे जिसके लिए EDD से ऊर्जिकरण के प्रयास किए जा रहे है।

अतः खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खंड की शिथिलता के कारण खंड द्वारा उपरोक्त 05 नलकूपों का ऊर्जिकरण वर्तमान तक न हो पाने के कारण इस पर किया गया व्यय रु 291.56 लाख एक अलाभकारी व्यय था , प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:2 अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुये `1.08 करोड़ के pvc पाईप का क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 177/XXXVIII(7)/2008 देहरादून, दिनांक 1 मई 2008 के द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 1 के अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत के क्र॰सं॰ 3 के 10 के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथा-साध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किए जायें। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा। और न ही कुल आवश्यकता के आकलित मूल्य के संदर्भ के अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों मे विभक्त किया जाएगा।

अध्याय 2 के सामग्री क्रय के संबंध मे क्रम संख्या 13 के विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा के संबंध में क्रमांक 1 द्वारा ` 25.00 लाख तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों मे विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाए। क्रम संख्या 2 के अनुसार निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की वेबसाइट से भी से संबद्ध होनी चाहिए।

अध्याय 3 के क्रम संख्या 24 के अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता बनाए रखना तथा स्वेछाचारिता दूर करने के क्रम संख्या 1 के द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि सभी शासकीय क्रय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा निष्पक्ष ढंग से संपादित किए जायें ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। ऐसा करने से भावी निविदादाता पूर्ण विश्वास के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत कर सके।

अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, रुड़की के अभिलेखों की जांच(08/16) में पाया गया कि विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में तीन अनुबंधों के माध्यम से supply of PVC pipe for potable water supplies in light grey colour 0.4 M.P.A. working pressure sockets (in 6 meter length) 200 in India ISI marked including proper stocking in store के तहत

31000 मीटर PVC पाइप की आपूर्ति हेतु गठित किया गया था। जिसका मूल्य ` 1,07,90000 (`1.08 करोड़) था। जिस हेतु कोई निविदा प्रक्रिया नहीं अपनायी गई एवं सामग्री की आपूर्ति प्राप्त कर ली गयी थी तथा जिस हेतु ` 35.00 लाख का भुगतान किया जा चुका था एवं ` 73 लाख का दायित्व अवशेष था। जो स्पष्ट रूप से अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन था।

प्रकरण इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा निविदा आमंत्रण एवं प्रकाशित नहीं किये जाने को स्वीकार करते हुए बताया गया कि प्रशनगत सामग्री के लिए विगत वर्षों में निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसमे आई निविदा दर पर ही सामग्री की आपूर्ति की गयी थी। उपरोक्त प्राप्त दर पर ही इस वर्ष आपूर्ति आदेश/अनुबंध किए गए थे।

खंड का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार रु. 25 लाख के ऊपर की खरीद हेतु निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए जिससे बाजार से कम से कम दर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुए ` 1.08 करोड़ के सामग्री के क्रय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान के लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : विभागीय शिथिलता के कारण सिंचन क्षमता मे 24413 हेक्टयर की कमी होना।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की द्वारा कुल 449 नलकूप स्थापित किए गए थे जिसके द्वारा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 मे खरीफ एवं रबी की फसलों के सिंचन का लक्ष्य वर्षवार क्रमशः 23832 हेक्टयर एवं 24976 हेक्टयर (कुल लक्ष्य 48808 हेक्टयर) निर्धारित था जिससे राजस्व की प्राप्ति भी अपेक्षित थी।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की के अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे (अगस्त 2016) पाया गया कि खंड द्वारा खरीफ एवं रबी की फसलों के सिंचन का लक्ष्य वर्षवार क्रमशः 23832 हेक्टयर एवं 24976 हेक्टयर (कुल लक्ष्य 48808 हेक्टयर) सापेक्ष मात्र 11749 हेक्टयर एवं 12646 हेक्टयर (कुल 24395 हेक्टयर) भूमि का ही सिंचन किया गया था जिसका मुख्य कारण स्थापित नलकूपो (449) के सापेक्ष नलकूप चालको की संख्या (126) एवं नलकूप मिस्त्रिओ (03) कमी थी।

उक्त की ओर इंगित करने पर खंड द्वारा तथ्य को स्वीकार्य करते हुये उत्तर मे बताया गया कि नलकूप चालको एवं नलकूप मिस्त्रिओ की कमी के कारण पूर्ण नलकूपो का संचालन नहीं हो पा रहा है तथा सींचन बढ़ाने हेतु उच्चाधिकारिओ से नलकूप चालको की संख्या मे वृद्धि करने हेतु प्रयास किए जा रहे है।

अतः खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है की खंड की शिथिलता के कारण खंड द्वारा सिंचन क्षमता का लक्ष्य पूर्ण करने मे न केवल 24413 हेक्टयर (48808 हे0 – 24395 हे0) की कमी हुयी अपितु स्थापित नलकूपो का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया जिससे राजस्व प्राप्ति मे भी कमी आई, का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर-2 `333.72 लाख की लागत से निर्मित नलकूपो के असफल होने से 900 हेक्टेयर कृषि भूमि का असिंचित रहना

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के नलकूप खण्ड द्वारा भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से विधुतीय ऊर्जा से संचालित नलकूप स्थापित कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सिंचाई विभाग, रुड़की (हरिद्वार) के लेखा-अभिलेखो के जांच से ज्ञात होता है कि वर्ष 2006 से 2010 के मध्य स्थापित किए गए 12 नलकूप, जो कि हरिद्वार जनपद के पाँच विकास खण्डो के 12 गाँव में स्थित थे, असफल हो गए थे। इन नलकूपो के निर्माण में `333.72 लाख की राशि व्यय की गयी थी और इससे 900 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया जाता था। अभिलेखो/लेखापरीक्षा पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत नलकूप वर्ष 2016 के मार्च महीने से अक्रियाशील है जिसके कारण इस वर्ष के रबी और खरीफ फसलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी थी। लेखापरीक्षा पूछताछ से यह भी ज्ञात हुआ कि इन नलकूपो को अभी तक असफल घोषित नहीं किया गया था जोकि नलकूपो को पुनः-स्थापित करने के लिए एक आवश्यक शर्त है जिसे पूरा किए बगैर नलकूपो को पुनः-क्रियाशील किया जाना संभव नहीं है। निर्माण के बाद से इन नलकूपो का प्रतिवर्ष मरम्मत एवं अनुरक्षण कराया जाता था परंतु खण्ड द्वारा मरम्मत एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय को यह कहकर उपलब्ध नहीं कराया गया कि उक्त व्यय को अनुभाग-वार संधारित किया जाता है ना कि नलकूप-वार।

सिंचन सुविधा के प्रकरण को इंगित किए जाने पर, खण्ड द्वारा बतलाया गया कि नलकूपो को असफल घोषित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। सिंचाई सुविधा के अभाव में कृषि पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बंध में बताया गया कि कृषको के द्वारा अपने संसाधनो से सिंचाई की जा रही है।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नलकूप असफल होने के पाँच महीने और दो कृषि ऋतु व्यतीत होने के बाद भी असफल हो चुके नलकूपो को पुन: स्थापित के लिए कोई प्रयास नहीं किया गये जिसके कारण फसलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका. उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणीं में सम्मिलत करके अलग से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सिंचाई विभाग, रुड़की (हरिद्वार)** को भेजा जायेगा, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-01/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक खण्ड-2